दैनिक भास्कर

DB Star

भोपाल
गुरुवार, 26 नवंबर 2026



चेहरे में आज
वर्गीज कुरियन
पढ़ें पेज : 3

ISHA की शिकायत के बाद दिव्यांगजन आयुक्त ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

बिना डिग्री और लाइसेंस के कर रहे कानों की जांच, दो हियरिंग सेंटरों पर बैठी जांच

भोपाल • डीबी स्टार

माता मंदिर-अवधपुरी के सेंटरों में अयोग्य स्टाफ से जांच कराने का आरोप

राजधानी में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। शहर के दो निजी हियरिंग सेंटरों में बिना मान्यता प्राप्त डिग्री और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के वैध रजिस्ट्रेशन के मरीजों के कानों की जांच किए जाने की शिकायत हुई है। यानी जिन लोगों से मरीज अपनी सुनने की क्षमता की जांच करा रहे थे, उनके पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता और लाइसेंस होने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय वाक्-भाषा एवं श्रवण संघ (ISHA) की शिकायत पर मामला सामने आने के बाद न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन (मप्र शासन) डॉ. अजय खेमरिया ने जांच के आदेश दिए हैं।

दिव्यांगजन आयुक्त ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय के आयुक्त को पत्र लिखकर साउथ टीटी नगर और अवधपुरी स्थित दो संस्थानों के संचालकों और वहां कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता व पंजीकरण की जांच कराने को कहा है। आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। शिकायत के तथ्य सही मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय आयुक्त को भी भेजनी होगी। इस मामले के सामने आने के बाद शहर के दूसरे निजी स्पीच और हियरिंग सेंटरों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।



गलत जांच के बाद मशीन लगाने से बढ़ सकता है बहरेपन का खतरा

जानकारों के मुताबिक, कान की जांच (ऑडियोमेट्री) एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति मशीनों को ऑपरेट करता है, तो जांच की रीडिंग गलत आ सकती है। इस गलत रिपोर्ट के आधार पर मरीज को गलत पावर की महंगी हियरिंग मशीन (कान की मशीन) थमा दी जाती है। इससे मरीज को फायदा होने के बजाय कान की नसों पर बुरा असर पड़ता है और बची हुई सुनने की क्षमता भी हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा रहता है। सही जांच के लिए क्लीनिक में मानक स्तर का साउंड-प्रूफ बूथ होना भी जरूरी है।

भारतीय वाक्-भाषा एवं श्रवण संघ ने जिन दो संस्थानों में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इनमें पहला माता मंदिर (साउथ टीटी नगर) स्थित वत्सल्य वाक् एवं श्रवण केंद्र और दूसरा अवधपुरी में विद्या सागर कॉलेज के पास संचालित अपडेट हियरिंग सॉल्यूशन है। शिकायत में कहा गया है कि इन केंद्रों पर विशेषज्ञों के बजाय बिना डिग्री वाले अयोग्य कर्मचारियों से मरीजों का श्रवण परीक्षण कराया जा रहा है।

स्पीच थेरेपी और श्रवण परीक्षण के लिए BASLP या MASLP डिग्री की जरूरत

देश में स्पीच थेरेपी और श्रवण परीक्षण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ने योग्यता और पंजीकरण के मानक तय किए हैं। इसके तहत संबंधित कार्य करने वाले विशेषज्ञ के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जैसे बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (BASLP) या मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (MASLP) होना जरूरी है। इसके साथ RCI का वैध पंजीकरण भी अनिवार्य है। इसके बिना संबंधित पेशेवर के रूप में सेवाएं देने और जांच रिपोर्ट तैयार करने पर कानूनी सवाल खड़े होते हैं।

इंदौर-ग्वालियर से भी शिकायतें, जांच के बाद प्रकरण दर्ज कराएंगे

इस तरह के उपचार के लिए आरसीआई ने विधिवत मानक और एसओपी तय की है। कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर से भी हमारे पास ऐसी शिकायत आई हैं कि अयोग्य और अप्रशिक्षित लोग कान के डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं। जांच के बाद पुलिस में प्रकरण दर्ज कराएंगे।

-डॉ. अजय खेमरिया, आयुक्त, दिव्यांगजन

PLI जैसे कामों के लिए 10 दिन से डाक घरों के चक्कर लगा रहे लोग

बीयू डाक घर में ग्राहकों को सही जानकारी तक नहीं दे पा रहे कर्मचारी, फोन भी रिसीव नहीं करते जिम्मेदार

भोपाल • डीबी स्टार

डाकघर में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) से जुड़े काम कराने वाले ग्राहक पिछले 10 दिनों से परेशान हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट और तकनीकी समस्या के चलते पॉलिसी की किस्त जमा करने से लेकर अन्य जरूरी काम अटके हुए हैं। ग्राहक रोजाना डाकघर पहुंच रहे हैं, लेकिन काम नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि कर्मचारियों के पास भी सॉफ्टवेयर दोबारा कब शुरू होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ग्राहक फोन लगाकर स्थिति जानना चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी फोन तक रिसीव नहीं करते। ऐसे में लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए भी डाकघर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

लोगों को सबसे ज्यादा चिंता किस्त जमा करने में हो रही देरी की है। निर्धारित समय पर प्रीमियम जमा नहीं हो पाने से उन्हें पेनल्टी लगने या पॉलिसी पर असर पड़ने की आशंका सता रही है। ग्राहकों का कहना है कि तकनीकी खराबी डाक विभाग की व्यवस्था में है, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। ग्राहकों का आरोप है कि बीयू पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी न तो सॉफ्टवेयर अपडेट की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और न ही फोन पर जानकारी दे रहे हैं। इससे यह पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि काम कब तक शुरू होगा।

25 से सॉफ्टवेयर शुरू होने की दी थी सूचना, फिर भी अटका काम

ग्राहकों के मुताबिक, उन्हें बताया गया था कि सॉफ्टवेयर 25 नवंबर से दोबारा काम करने लगेगा। इसी उम्मीद में कई लोग अपनी बीमा पॉलिसी की किस्त जमा करने बीयू पोस्ट ऑफिस पहुंचे, लेकिन तकनीकी समस्या दूर नहीं होने से उनका काम नहीं हो सका। ग्राहकों का कहना है कि 10 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। हर बार डाकघर पहुंचने पर सॉफ्टवेयर अपडेट होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है।

अभी 5 दिन का समय, किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी

सॉफ्टवेयर से लॉगआउट होने से बीयू में परेशानी हुई। अभी तक जो भी पेमेंट होने थे वह ऑनलाइन माध्यम से हो जाएंगे। 26 नवंबर से पोस्ट ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर आईएमएस रोल आउट किया गया है जिसके काम करने की क्षमता पहले से तेज होगी। अभी पांच दिन का समय है, पेनल्टी नहीं लगेगी।

-डॉ. ज्योति पांडे, एडीएम पीएलआई

जेके रोड-ITI रास्ता बंद होने से गोविंदपुरा में रोज तीन घंटे जाम

शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच यहां के ट्रैफिक डिसकंट

भोपाल जंक्शन...प्लेटफॉर्म 6 से वाहन पकड़ने 500 मी. पैदल चलना पड़ रहा

भोपाल • डीबी स्टार

राजधानी के मुख्य रेलवे स्टेशन पर मरीजों और अन्य यात्रियों को बाहर निकलने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से बाहर जाने वाले

30 लाख से बना चौकी इमामबाड़ा थाना भवन, 6 महीने से शुभारंभ का इंतजार

भोपाल • डीबी स्टार



चौकी इमामबाड़ा में करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना पुलिस थाने का नया भवन पिछले छह महीने से बंद पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अब तक इसका शुभारंभ नहीं हो सका है। ऐसे में जिस उद्देश्य से थाने का भवन तैयार